बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–..............
5 स0 अपील (मेटल इण्ड0)–51/2015

दिनांक–.....................

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र प्रसाद पोद्दार, पिता–स्व0–सियाशरण पोदार
प्रो0–इंडिया मेटल, इण्डस्ट्री
औ0 क्षेत्र–सहरसा

विषयः– **दायर अपीलवाद सं0–51/2015 में पारित आदेश के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री इंडिया मेटल इण्डस्ट्री बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनु0–

विश्वासभाजन
ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2152 दिनांकः– 24.5.18
प्रतिलिपि :–प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
24/5/18

(16)
आई.टी. मैनेजर

C:\Users\Industry\Desktop\SEC 5.Docx61

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 51/2015

सर्वश्री इंडिया मेटल इंडस्ट्रीज, सहरसा

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

26.04.2017

प्रश्नगत अपील मेसर्स इंडिया मेटल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक प्रांगण, सहरसा द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 2425 दिनांक 03.05.2014 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थापित है। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें औद्योगिक प्रांगण, सहरसा में सर्वश्री इंडिया मेटल द्वारा वर्ष 1991 में सर्वश्री एच0डी0 मेटल वर्क्स को बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा विहित शर्तों के आधार पर क्रय कर पत्र प्राप्त किया गया था। प्राधिकार के ज्ञापांक 1990 दिनांक 19.08.2007 द्वारा इकाई का निबंधन रद्द कर दिया गया तथा रद्दीकरण के पश्चात् दिनांक 20.11.2007 को उक्त शेड ए–5 एवं ए–6 को क्रमशः सर्वश्री एस0 एन0 जी0 एग्रो इंडस्ट्रीज तथा गोयंका इंडस्ट्रीज को आवंटित कर दी गई। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 2425 दिनांक 03.05.2014 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सर्वश्री इंडिया मेटल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक प्रांगण, सहरसा में सर्वश्री इंडिया मेटल द्वारा वर्ष 1991 में सर्वश्री एच0डी0 मेटल वर्क्स को बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा विहित शर्तों के आधार पर क्रय कर पत्र प्राप्त किया गया, परन्तु क्रेता इकाई द्वारा बिहार राज्य वित्त निगम को ससमय भुगतान नहीं किया गया तथा इकाई द्वारा बिहार राज्य वित्त निगम के विरूद्ध वाद दायर किया गया। वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सूद की पुर्नगणना करने का बिहार राज्य वित्त निगम को आदेश दिया गया। वित्त निगम द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में वित्त निगम द्वारा ओ0टी0एस0 की योजना लागू की गई है जिसमे मूलधन + 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करते हुए सभी बकाये से मुक्त होना था, जिसका लाभ भी आवेदक इकाई सर्वश्री इंडिया मेटल द्वारा प्राप्त नहीं की गई एवं बकाये राशि का भुगतान वित्त निगम को नहीं किया गया। सर्वश्री इंडिया मेटल द्वारा अपनी इकाई को वर्षों से बंद रखने के कारण प्राधिकार के ज्ञापांक 1990 दिनांक 19.08.2007 द्वारा इकाई का निबंधन रद्द कर दिया गया तथा रद्दीकरण के पश्चात् दिनांक 20.11.2007 को उक्त शेड ए–5 एवं ए–6 को क्रमशः सर्वश्री एस0एल0जी0 एग्रो इंडस्ट्रीज तथा गोयंका इंडस्ट्रीज को आवंटित कर दी गई। चूँकि सर्वश्री इंडिया मेटल पूर्व में बिहार राज्य वित्त निगम से वित्त पोषित इकाई थी एवं जिसका निबंधन बियाडा द्वारा रद्द कर अन्य दो इकाईयों को आवंटित कर दी गई थी। अतः बियाडा एवं बिहार राज्य वित्त निगम के बीच हुए समझौते के तहत् उक्त इकाई को बियाडा द्वारा क्रय कर लिया गया। दिनांक 13.01.2014 के सुनवाई के क्रम मे श्री उपेन्द्र पोद्दार, सर्वश्री इंडिया मेटल को स्पष्ट रूप से यह प्रस्ताव दिया गया कि यदि बियाडा द्वारा बिहार राज्य वित्त निगम को भुगतानित राशि 4,49,000/– रुपये एवं 10 प्रतिशत सूद के साथ लौटाते हुए अपनी इकाई स्थापित करने के संबंध में योजना समर्पित करते हैं तो इनके अनुरोध पर विचार किया जाएगा, परन्तु अद्यतन इंडिया मेटल के द्वारा उद्योग स्थापना के संबंध में न तो कोई योजना दी गई है न ही प्रस्तावित राशि जमा की गई है। जबकि उक्त प्रस्ताव हेतु आवेदक को लगभग चार माह का समय प्राप्त हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि इकाई का उद्योग स्थापना में कोई अभिरूचि नहीं है और न ही समस्या के ससमय समाधान में कोई रूचि है। अंत में आदेश ज्ञापांक 2425 दिनांक 03.05.2014 द्वारा आवंटित भूखंड को रद्द कर दिया गया।

उभय पक्षों के तर्कों को सुनने एवं समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है 'बियाडा' द्वारा सर्वश्री इंडिया मेटल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक प्रांगण, सहरसा में सर्वश्री इंडिया मेटल द्वारा वर्ष 1991 में सर्वश्री एच0डी0 मेटल वर्क्स को बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा विहित शर्त्तों के आधार पर क्रय कर पत्र प्राप्त किया गया, परन्तु क्रेता इकाई द्वारा बिहार राज्य वित्त निगम को ससमय भुगतान नहीं किया गया तथा इकाई द्वारा बिहार राज्य वित्त निगम के विरूद्ध वाद दायर किया गया। वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सूद की पुर्नगणना करने का बिहार राज्य वित्त निगम को आदेश दिया गया। वित्त निगम द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में वित्त निगम द्वारा ओ0टी0एस0 की योजना लागू की गई जिसमें मूलधन + 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करते हुए सभी बकाये से मुक्त होना था, जिसका लाभ भी आवेदक इकाई सर्वश्री इंडिया मेटल इंडस्ट्रीज द्वारा प्राप्त नहीं की गई एवं बकाये राशि का भुगतान वित्त निगम को नहीं किया गया। सर्वश्री इंडिया मेटल द्वारा अपनी इकाई को वर्षों से बंद रखने के कारण प्राधिकार के ज्ञापांक 1990 दिनांक 19.08.2007 द्वारा इकाई का निबंधन रद्द कर दिया गया तथा रद्दीकरण के पश्चात् दिनांक 20.11.2007 को उक्त शेड ए–5 एवं ए–6 को क्रमशः सर्वश्री एस0एल0जी0 एग्रो इंडस्ट्रीज तथा गोयंका इंडस्ट्रीज को आवंटित कर दी गई। इकाई द्वारा भूमि आवंटन के लम्बी अवधि के बाद भी उद्योग स्थापना एवं बकाया राशि के लिए कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, जबकि बियाडा द्वारा उद्योग स्थापना हेतु समय–समय पर नोटिस निर्गत किया गया है। इकाई द्वारा भूमि आवंटन होने की लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त भी उत्पादन प्रारंभ नहीं किया जाना भूमि आवंटन आदेश में निहित शर्त्तों का उल्लंघन है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता भूमि पर अन्य उद्देश्य के लिए मात्र कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। साक्ष्यों के आलोक में इकाई को आवंटित भू–खंड को रद्द करने का कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 2425 दिनांक 03.05.2014 अनुकूल है।

तद्नुसार प्रश्नगत अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग बिहार, पटना।

Osd leater 1